This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 15 फरवरी, 2022 / 26 माघ, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ (हि0प्र0)

कार्यालय आदेश

दिनांक : 8 फरवरी, 2022

संख्याः—कनर—रिक्त पद(5) / 2016—2017—8532—38.——यह कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पूहख जिला किन्नौर से कार्यालय पत्र संख्या 426, दिनांक 18—01—2022 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना अनुसार श्री केसर सिंह वार्ड पंच वार्ड नं0—1 ग्राम पंचायत चूलिंग, विकास खण्ड पूह, जिला किन्नौर,

हिमाचल प्रदेश सामान्य निर्वाचन 2020–21 में ग्राम पंचायत चूलिंग से पंचायत सदस्य वार्ड नं0 01 विजय हुए थे उन्होने दिनांक 10–01–2022 को पंचायत सदस्य के पद से I.P.H. विभाग में Malti Task Worker के पद पर नियुक्त हुए हैं। जिसके कारण उन्होंने त्याग–पत्र दे दिया है जिसके दृष्टिगत उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या–01 (चूलिंग) को रिक्त घोषित किया जाना है।

अतः मैं, जय वन्ती ठाकुर, जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 135(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री केसर सिंह वार्ड संख्या–01 ग्राम पंचायत चूलिंग विकास खण्ड पूह के त्याग–पत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करती हूं व उक्त अधिनियम की धारा 131(4) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चूलिंग में वार्ड नं0–01 के वार्ड सदस्य पद को रिक्त घोषित करती हूं।

हस्ताक्षरित / –
जिला पंचायत अधिकारी,
किन्नौर स्थित रिकांगपिओ (हि0प्र0)।

———————

उद्योग विभाग

अधिसूचना

तारीख, 10 फरवरी, 2022

संख्याः इण्ड–।। (एफ) 6–14 / 2014–भाग–1.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः इण्ड–।। (एफ)6–14 / 2014, तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:——

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) चतुर्थ (चौथा) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 33 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 33 में,–

(क) उप–नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1–क) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / अभिकरणों द्वारा सड़कों के सन्निर्माण से सम्बन्धित कार्यों की दशा में, खनन अधिकारी, ऐसे कार्यों के सन्निर्माण के दौरान उत्पादित गौण खनिजों का उसी कार्य अर्थात् सड़क निर्माण, जिसके अन्तर्गत डंगों (रिटेनिंग वॉल), ब्रेस्ट वॉल, सोलिंग आदि भी है, के उपयोग के लिए कार्य प्रभारी अभियन्ता जो सहायक अभियन्ता की पंक्ति से नीचे का न हो; की रिपोर्ट पर, प्रति कार्य एक बार में प्रति मास 10,000 मीट्रिक टन की सीमा तक और 20,000 मीट्रिक टन से अनधिक अनन्यतः कैपटिव उपयोग (इन–सीटू) हेतु, अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा;" और

(ख) उक्त नियमों के उप–नियम (2) के खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(iii) अनुज्ञा केवल ऐसे स्टॉक को उठाने/अभिवहन के लिए जिसका निर्धारण, यथास्थिति, समिति या प्रभारी अभियन्ता, जो सहायक अभियन्ता की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा प्रदान की जाएगी; और"

3. **नियम 81–क का अन्तःस्थापन.**——उक्त नियमों के नियम 81 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"81–क. कोई व्यक्ति, जो खनन पट्टा धारक न हो और नियम 72, 75, 79 और 80 का उल्लंघनकर्ता न हो, यदि पारगमन के प्रकम के पश्चात् पारगमन पास प्रस्तुत न कर सका हो, तो लागू दरों पर रॉयल्टी और रॉयल्टी के 25% की दर पर शास्ति के संदाय हेतु दायी होगा।"।

4. **चौथी अनुसूची का संशोधन.**——उक्त नियमों की चौथी अनुसूची में, नियम 33 के सामने उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:——

"नियम	सीमा	प्राधिकृत अधिकारी	सीमा
33	खनिज को उठाने/उसका अभिवहन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने की शक्ति।	खनन अधिकारी प्रतिकार्य एक बार में (एक समय पर) 10,000 मीट्रिक टन तक और 20,000 मीट्रिक टन से अनधिक तक प्रतिमास।	सम्बद्ध खनन अधिकारी की अधिकारिता के भीतर।
		राज्य भू–विज्ञानी 30,000 मीट्रिक टन तक प्रतिमास।	सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में।
		निदेशक उद्योग 30,000 से अधिक और 50,000 मीट्रिक टन तक प्रति मास और 50,000 मीट्रिक टन से अधिक राज्य सरकार द्वारा।	सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में।"।

आदेश द्वारा,

आर0डी0 धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।

————————

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-II(F)6-14/2014-Vol-I, dated 10 -02-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated: 10th February, 2022

No. Ind-II(F)6-14/2014-Vol-I.—In exercise of the power conferred by Section 15 read with Section 23 C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the

Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified *vide* this department's notification No. Ind-II(F)6-14/2014, dated 13-03-2015 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 21-03-2015, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Fourth Amendment Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 33.—In rule 33 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the 'said rules'),—

(a) after sub-rule(1), the following shall be inserted, namely:—

"(1A) In case of works relating to construction of roads by different departments/ agencies of State Government, the Mining Officer may grant permission for use of minor minerals generated during the construction of such works, exclusively for captive use (in-situ) in the same work *i.e.* construction of road including retaining walls, breast walls, soling etc., upto the extent of 10,000 MT per month at a time and not exceeding 20,000 MT per work on the report of Engineer-in-charge of the work not below the rank of Assistant Engineer."; and

(b) for clause (iii) of sub -rule (2), the following shall be substituted, namely:—

" (iii) the permission shall be granted only for lifting /transportation of such stock which has been assessed by the Committee or on the report of Engineer-in-charge of the work not below the rank of Assistant Engineer, as the case may be; and"

3. Insertion of rule 81-A.—In the said rules, after rule 81, the following rule shall be inserted, namely:—

"81-A, Any person, not being a mining lease holder and not in contravention of Rule 72,75,79 and 80, if could not produce transit pass after the stage of transit, shall be liable to pay royalty at the applicable rates and penalty @ 25% of the royalty.".

4. Amendment of FOURTH SCHEDULE.— In the said rules, in the FOURTH SCHEDULE, for the provisions against Rule 33, the following shall be substituted, namely:—

"Rule	Limit	Authorized officer	Limit
33	Power to grant permission for lifting/ transportation of mineral.	Mining Officer upto 10,000 Metric Tonnes per month at a time and not exceeding 20,000 MT per work. State Geologist upto 30,000 Metric Tonnes per month.	Within the jurisdiction of concerned Mining office. Throughout the State of Himachal Pradesh.

		Director of Industries more than 30,000 and up to 50,000 metric Tonnes per month and above 50,000 Metric Tonnes by the Government.	Throughout the State of Himachal Pradesh."

By order,

R. D. Dhiman,
Additional Chief Secretary (Industries).

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 09th February, 2022

No. STE-F(4)-2/2008-V-L.—Pursuant to the directions issued by the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India *vide* Office Memorandum No. F. No. 17/6/2021-HSM dated 16-04-2021, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Special Task Force and District Level Task Force for taking measures to eliminate Single Use Plastics (SUPs) and also to prepare a comprehensive Action Plan for its implementation in mission mode, with the following members and Terms of Reference:—

I. Special Task Force :

1.	Chief Secretary	*Chairman*
2.	Administrative Secretary (Industries)	*Member*
3.	Administrative Secretary (Labour & Employment)	*Member*
4.	Administrative Secretary (Env., Sci. & Tech.)	*Member*
5.	Administrative Secretary (Urban Development)-(Nodal Deptt.)	*Member*
6.	Administrative Secretary (Rural Development & Panchayati Raj)-(Nodal Deptt.)	*Member*
7.	Administrative Secretary (Education)	*Member*
8.	Administrative Secretary (Youth Services & Sports)	*Member*
9.	Director, Department of Env.,Sci.,& Technology	*Member Secretary*
10.	Member Secretary, HP State Pollution Control Board	*Member*
11.	Director, Department of Information & Public Relation	*Member*
12.	State Co-co-ordinator, Swachh Bharat Mission 2.0 (Rural)	*Member*
13.	Project Officer, State Co-co-ordinator, Swachh Bharat Mission 2.0 (Urban)	*Member*

The meetings of the Special Task Force shall be convened once in two months. The chairperson may co-opt members as required.

II. District Level Task Force:

1.	District Magistrates/ Deputy Commissioners	*Chairman*
2.	Superintendents of Police	*Member*
3.	Addl. District Magistrates & Sub-Divisional Magistrates	*Member*
4.	Block Development Officers, Panchyati Raj	*Member*
5.	Commissioners, Municipal Corporation	*Member*
6.	Chief Medical Officers, H.P.	*Member*
7.	Deputy / Assistant Excise & Taxation Commissioners, H.P.	*Member*
8.	Divisional Forest Officers, H.P.	*Member*
9.	District Tourism Development Officers	*Member*
10.	Regional Officers, Pollution Control Board	*Member-Secretary*
11.	Regional Transport Officers, HRTC	*Member*
12.	District Food & Civil Supplies Controllers, H.P.	*Member*
13.	Executive Officers/Secretaries, Municipal Councils/ Nagar Panchyats.	*Member*

III. Terms of References for State Level Special Task Force under the Chairmanship of Chief Secretary to Government for taking measures to eliminate single use plastic in mission mode:

1. Prepare a comprehensive Action Plan for implementation of Plastic Waste Management Rules, 2016 and phasing out of SUPs, with identified activities and timelines and synergizing efforts and resources of various Department/Agencies at State, District and City Level.

2. Assess plastic waste generated in State with respect to collection, recycling and disposal and identify gaps in plastic waste management (Reduce, Reuse and Recycle) policy, implementation, enforcement, infrastructure etc.

3. Strengthen policy, regulatory, institutional mechanism/structures for the implementation of Plastic Waste Management Rules (PWMR), 2016 and phasing out of Single Use Plastic (SUP) in the State, design appropriate management strategies and allow for allocation of financial resources for PWM including leveraging of funds from Swachh Bharat Mission.

4. Take measures for effective enforcement and monitoring implementation of (i) Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended, and (ii) State specific ban imposed on identified single use plastic items.

5. Develop policies for supporting the adoption of alternatives to identified single use plastic items prohibited under PWMR, 2016, as amended.

6. Take measures to strengthen ULBs/GPs for segregation, collection, storage, transportation, processing, and disposal of plastic waste.

7. Prepare a detailed roadmap for activities to build awareness and outreach among public on plastic waste management and reduction in the use of SUP items.

8. Develop strategy for building a strong public movement for mitigation of plastic pollution by involving education institutions (schools, colleges, universities), NCC, NSS, Scouts, Youth clubs, Eco clubs, Opinion makers and voluntary organizations, with a detailed action plan in this regard.

9. The Nodal Departments responsible for implementation shall be Department of Urban Development in Municipal areas and Department of Rural Development & Panchayati Raj for Rural areas.

By order,
Sd/-
(PRABODH SAXENA),
Addl. Chief Secretary (Env. Sci., & Tech.).

ब अदालत विशन दास, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज

श्री राजेंदर कुमार पुत्र श्री प्रेम राम उर्फ प्रेमु राम, निवासी गांव व डाकघर मंझेड़, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

श्री राजेंदर कुमार पुत्र श्री प्रेम राम उर्फ प्रेमु राम, निवासी गांव व डाकघर मंझेड़, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि मेरे पिता का नाम आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड, पैन कार्ड आदि में श्री प्रेम राम दर्ज है जो कि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल वन भुलाणा में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम श्री प्रेम राज दर्ज है जोकि गलत है। आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल मंझेड़ वन भुलाणा में सही नाम प्रेम राम उर्फ प्रेमू राम पुत्र श्री जुल्फी उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17–02–2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17–01–2022 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्याकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी	किस्म मु0
05 / Teh/2021	07—12—2021	17—02—2022	इन्द्राज जन्म तिथि

शीर्षक.——श्री प्रताप सिंह पुत्र स्व0 सीलो राम, निवासी गांव चौम्बू, डाकघर रझूं, ग्राम पंचायत गदियाड़ा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

1. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण / विवाह
2. आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

विषय.——प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण / विवाह अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पुत्र रातेश कुमार का जन्म गांव चौम्बू, डाकघर रझूं, ग्राम पंचायत गदियाड़ा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में दिनांक 20—04—1975 को हुआ है मगर अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत गदियाड़ा के अभिलेख में दर्ज न है। जिसे वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत गदियाड़ा के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार / नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 17—02—2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक के पुत्र रातेश कुमार की जन्म तिथि दिनांक 20—04—1975 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत गदियाड़ा को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03—01—2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एव सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 08 / Teh / 2021 तारीख दायरा : 25—08—2021 तारीख पेशी : 17—02—2022

श्रीमती प्रवीण कुमारी पत्नी स्व0 वलकार सिंह, निवासी महाल झरेट ठाकरां, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . प्रत्यार्थीगण।

विषय.——बराए नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू0—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पुत्र का सही नाम आयुष पुत्र वलकार सिंह है। जबकि महाल झरेट ठाकरां, मौजा रझूं के राजस्व अभिलेख में आयुष परमार पुत्र वलकार सिंह दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः महाल के राजस्व अभिलेख में उनके पुत्र का नाम आयुष उर्फ आयुष परमार दुरुस्त दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थिया व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार / नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 17–02–2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदिका के पुत्र आयुष पुत्र वलकार सिंह की नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03–01–2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),
धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायरा	तारीख पेशी
24 / NT/2021	नाम दुरुस्ती	17–09–2021	18–02–2022

1. श्री केवल कुमार पुत्र जुल्फी राम, वासी महाल पूनणी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री केवल कुमार पुत्र जुल्फी राम, वासी महाल पूनणी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री केवल कुमार पुत्र जुल्फी राम, वासी महाल पूनणी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल पूनणी में श्री केवल कुमार दर्ज है जबकि उनका सही नाम केवल कृष्ण है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके केवल कृष्ण किया जाए प्रार्थी का शपथ–पत्र, स्कूल प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, नकल जमाबन्दी वर्ष 2019–20 महाल पूनणी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 18–02–2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 18–01–2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

अर्जुन सिंह मैहता पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव विकासनगर, डाकघर महांकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अर्जुन सिंह मैहता पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव विकासनगर, डाकघर महांकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती जानकी देवी की मृत्यु दिनांक 28–10–2000 को महाल विकासनगर में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21–02–2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 19–01–2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम   तारीख पेशी : 21–02–2022

श्री अरविन्द सिंह राणा पुत्र श्री रमेश चन्द राणा, निवासी गांव व डा0 ग्वाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की माता का नाम दुरुस्त करके कमला देवी पत्नी श्री रमेश चन्द के बजाये राज रानी पत्नी श्री रमेश चन्द करने बारे।

श्री अरविन्द सिंह राणा पुत्र श्री रमेश चन्द राणा, निवासी गांव व डा0 ग्वाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी माता राज रानी, महाल गवाल, तहसील बैजनाथ में भू–स्वामी थी तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की माता का नाम कमला देवी पत्नी श्री रमेश चन्द दर्ज है, जबकि प्रार्थी की माता का असल नाम राज रानी पत्नी श्री रमेश चन्द है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके राज रानी पत्नी श्री रमेश चन्द किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21–02–2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना–पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19–01–2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 20

Smt. Kamlesh Kumari d/o Chuni Lal, r/o Village Kaswa Narwana, P.O. Yol Cantt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Kamlesh Kumari d/o Chuni Lal, r/o Village Kaswa Narwana, P.O. Yol Cantt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी/Self Kamlesh Kumari d/o Chuni Lal का जन्म दिनांक 09–01–1977 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत / छावनी परिषद् योल में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Kamlesh Kumari के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 22–02–2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11–01–2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 01/NT/ 2022. तारीख पेशी : 23—03—2022

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी महाल जजर, डा0 सियालकड़, उप—तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.— नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

नोटिस बनाम ।

प्रार्थी श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी महाल जजर, डा0 सियालकड़, उप—तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता ज्ञान चन्द का नाम पटवार वृत्त सियालकड़ के महाल जजर, उप—तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में ज्ञानी दर्ज है। जबकि मृत्यु प्रमाण—पत्र, परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, विद्यालय त्याग पमाण—पत्र व अन्य सभी जगह में उनका नाम ज्ञान चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सियालकड़ के महाल जजर, मौजा मझीण, उप—तहसील मझीण में उसके पिता का नाम ज्ञानी के बजाय ज्ञानी उपनाम ज्ञान चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न—भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23—03—2022 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी महाल जजर, उप—तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के पिता का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सियालकड़ के महाल जजर में ज्ञानी के बजाये ज्ञानी उपनाम ज्ञान चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06—01—2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

———————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण / मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 15—02—2022

जुल्फी राम ठाकुर

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना–पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री जुल्फी राम ठाकुर पुत्र श्री रगींला राम, निवासी गांव व डाकघर कण्ड ग्वालटिकर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र, सी0 एम0 ओ0 धर्मशाला से जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, गवाहन के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थी की बहन रोशनी देवी की मृत्यु दिनांक 10–11–1977 को गांव व डाकघर कण्ड ग्वालटिकर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में घर पर ही हुई थी, परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार वालों ने रोशनी देवी की मृत्यु तिथि 10–11–1977 को ग्राम पंचायत ग्वालटिकर के अभिलेख में पंजीकृत नही करवाई थी। अतः प्रार्थी चाहता है कि अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत को मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15–02–2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी की बहन रोशनी देवी के मृत्यु पंजीकरण दिनांक 10–11–1977 के आदेश गाम पंचायत ग्वालटिकर को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12–01–2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 02 / NT / 2022 तारीख पेशी : 24–02–2022

श्री ओंकार चन्द पुत्र श्री तिखू पुत्र लखौरी, निवासी महाल नरघोटा, डा0 थिल, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—– नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री ओंकार चन्द पुत्र श्री तिखू पुत्र लखौरी, निवासी महाल नरघोटा, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त बार कलां के राजस्व महाल नरघोटा, राजस्व महाल लाहड़ व महाल नरघोटा के खाता नं0 20 जिसमें प्रार्थी के पुत्रों के नाम भूमि दर्ज है, में गलती से ओंकार सिंह पुत्र तिखू दर्ज हो गया है जबकि उसके आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ग्राम पंचायत बारीकलां के परिवार रजिस्टर नकल व अन्य सभी कागजातों में उसका नाम ओंकार चन्द पुत्र तिखू दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महालात के राजस्व अभिलेख में उसका नाम ओंकार सिंह उपनाम ओंकार चन्द पुत्र तिखू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 24—02—2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व महाल नरघोटा, राजस्व महाल लाहड़ व महाल नरघोटा के खाता नं0 20 जिसमें प्रार्थी के पुत्रों के नाम भूमि दर्ज है के अभिलेख में ओंकार सिंह उपनाम ओंकार चन्द पुत्र तिखू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17—01—2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0: 33 / 1 / 2020 किस्म मुकद्दमा : Partition तारीख पेशी : 26—02—2022

बिशन दास

बनाम

दीपक करण

प्रतिवादी मदन लाल पुत्र विमला देवी, कुंता देवी पुत्र विमला देवी, कमला देवी पुत्री भुन्दु, भूतु पुत्री भुन्दु देवी, खितो देवी पुत्री दुनिया, उत्तम चन्द, मोती लाल पुत्र खयाली, श्याम लाल, मंजीत, सुभाष कुमार पुत्र भागीरथ, जय करण पुत्र खोजी, प्रेमी पुण्य देवी लिलो, विद्या देवी पुत्री थानु, ओम प्रकाश, विना देवी, दुर्गा देवी, सरिता देवी पुत्री हलया पुत्री प्रार्थी ने इस अदालत में भूमि खाता नं0 72, खतौनी नं0 164, ता 165, खसरा नं0 कित्ता 37, रकबा तादादी 00—91—01 है0 मोहाल भतला, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा की तकसीम करने का प्रार्थना—पत्र दिया है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीका से तमील न हो पा रहे हैं।

अतः इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से अपरोक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है की वह दिनांक 24—02—2022 को सुबह 12.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02—02—2022 को इस अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत डॉ0 आशीष शर्मा, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप–मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. मनोहर लाल धीमान आयु 60 वर्ष पुत्र जगत राम धीमान, निवासी गांव सनवाड, डाकघर पुढवा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

2. ललिता देवी आयु 55 वर्ष पुत्री श्री लक्ष्मण दास, निवासी गांव व डा0 चचियां खास, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता–पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 24–02–2022 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 21–01–2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
धीरा, उप–मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Sub-Divisional Collector, Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

M/s Nestor Agro and Export Pvt. Ltd. through its Director Sh. B. R. Chawla s/o Sh. Chawla, r/o Village and P.O. Sanawar, Tehsil Kasauli, District Solan (H. P.) . .*Applicant.*

Versus

Chaman Lal s/o Sh. Sobha Ram, r/o V.P.O. Sanawar, Tehsil Kasauli, Disrrict Solan (H.P.) & other.

. .*Respondent.*

Notice to :

1. Vijay s/o Sh. Lekh Ram, 2. Rajeev s/o Sh. Lekh Ram, both r/o V.P.O. Sanawar, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

Whereas in the aboe noted case it has been proved to the satisfaction of the court that above named defendant/defendants is/are avoiding service of summons and cannot be served in the ordinary way. Hence this proclamation is hereby issued against him/ them to appear in this court on 16-03-2022 at 2.00 P.M. to defend the case personally or through an authorized agent or pleader failing which *ex-parte* proceedings will be taken against him/them.

Given under my hand and seal of the court this 05th day of February, 2022.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Collector,
Kasauli, District Solan (H. P.).

In the Court of Sh. Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan, District Solan (H. P.)

In the matter of :

Sh. Vijay Kumar Arora s/o Late Sh. Som Dev, r/o Village Khali, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Vijay Kumar Arora s/o Late Sh. Som Dev, r/o Village Khali, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of her daughter namely—Namrata Arora *i.e.* 12-04-1981 at Village Khali, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Chewa.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of date of birth of Namrata Arora d/o Sh. Vijay Kumar Arora, r/o Village Khali, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan, may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 17-02-2022 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 18th day of January, 2022.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H.P.).

In the Court of Sh. Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan, District Solan (H. P.)

In the matter of :

Sh. Karam Chand s/o Sh. Khayali Ram, r/o Village Jadli, P.O. Patta Brawari, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Karam Chand s/o Sh. Khayali Ram, r/o Village Jadli, P.O. Patta Brawari, Tehsil & District Solan has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of her daughter namely—Khushboo *i.e.* 15-06-2006 at Village Jadli, P.O. Patta Brawari, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Jadli.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of date of birth of Khushboo d/o Sh. Karam Chand, r/o Village Jadli, P.O. Patta Brawari, Tehsil & District Solan may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 17-02-2022 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 18th day of January, 2022.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H.P.).

Before Executive Magistrate-cum**-(Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh**

Case No.	Date of Institution
08/2021	22-11-2021

Sh. Prem Lal s/o Shri Prabhu Ram, r/o Village Suwa, P.O. Goyala, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Prem Lal s/o Shri Prabhu Ram, r/o Village Suwa, P.O. Goyala, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his sister Smt. Prem Dei died on 10-04-2008 at Village Suwa, P.O. Goyala, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but his date of death could not be entered in the record of Gram Panchayat Goyala, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. by the applicant.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of death of Smt. Prem Dei may submit their objections in writing in this court on or before 24-02-2022 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 18th day of January, 2022.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).

Before Executive Magistrate-cum-**(Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh**

Case No. 12/2021

Date of Institution 22-11-2021

Smt. Durga Devi w/o Shri Pawan Kumar, r/o Village Sihardi Musalmana, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Durga Devi w/o Shri Pawan Kumar, r/o Village Sihardi Musalmana, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her daughter Muskan born on 15-02-2004 at Village Sihardi Musalmana, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. by the applicant.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of Birth of Muskan may submit their objections in writing in this court on or before 24-02-2022 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 18th day of January, 2022.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2022 Date of Instt. : 28-01-2022 Pending for : 28-02-2022

Vajinder Kumar

V/s

General Public

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas, Shri Vajinder Kumar s/o Shri Sham Lal, r/o Village Thana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) and Smt. Neha Rani d/o Sh. Om Prakash, r/o Village Dadi Bhola, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) presently w/o Shri Vajinder Kumar s/o Shri Sham Lal, r/o Village Thana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 11-12-2019.

And, whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 24-02-2022 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 24-02-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 24-01-2022.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum- *SDM,*
Nalagarh, District Solan (H. P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2022 Date of Instt. : 28-01-2022 Pending for : 28-02-2022

Vivek Kumar

V/s

General Public

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas, Shri Vivek Kumar s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Malaun Bhagta, P.O. Kohu, Tehsil Ramshehar, District Solan (H.P.) and Smt. Rekha Kumari d/o Sh. Rudku Ram, r/o Village Tyaman, P.O. Namhol, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) presently w/o Shri Vivek Kumar s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Malaun Bhagta, P.O. Kohu, Tehsil Ramshehar, District Solan (H.P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 13-12-2021.

And, whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 28-02-2022 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 28-02-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 28-01-2022.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum- *SDM,*
Nalagarh, District Solan (H. P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2022 Date of Instt. : 28-01-2022 Pending for : 28-02-2022

Sawan Thakur

V/s

General Public

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas, Shri Sawan Thakur s/o Shri Rakesh Dogra, r/o Ward No. 11, Village Behdala, Tuthra, Tehsil & District Una (H.P.) at present c/o Tower C3, Flat No. 401, Suncity Apartments,

Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) and Smt. Sulakshna d/o Sh. Balbir Singh, r/o Village Khansra, P.O. Ropri, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) presently w/o Shri Sawan Thakur s/o Shri Rakesh Dogra, r/o Ward No. 11, Village Behdala, Tuthra, Tehsil & District Una (H.P.) at present c/o Tower C3, Flat No. 401, Suncity Apartments, Jharmajri, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 24-01-2022.

And, whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 28-02-2022 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 28-02-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 28-01-2022.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum- *SDM,*
Nalagarh, District Solan (H. P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2022 Date of Instt. : 27-12-2021 Pending for : 27-02-2022

Bant Ram

V/s

General Public

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas, Shri Bant Ram s/o Shri Prem Chand, r/o Village Mastanpura, P.O. Khillian, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) and Smt. Lakhbeer Kaur d/o Sh. Ujagar Singh, r/o Village Kaulanwala, P.O. Panjehra, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) presently w/o Shri Bant Ram s/o Shri Prem Chand, r/o Village Mastanpura, P.O. Khillian, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 08-10-2021.

And, whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 27-02-2022 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 27-02-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 27-12-2021.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum- *SDM,*
Nalagarh, District Solan (H. P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग (तहसीलदार) बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 9 / 2021 वाद अनुवाद : नाम दुरुस्ती तारीख रजुआ : 24–12–2021

श्री रतन लाल पुत्र श्री आशा राम, निवासी गांव गोरखनाथ, डाकघर साईं, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता बजरिया हिमाचल प्रदेश सरकार

इश्तहार आम जनता बाबत वाशिन्दगान देह मौजा गोरखनाथ, तहसील बद्दी, जिला सोलन।

हरगाह हर खास व आम को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी श्री रतन लाल पुत्र श्री आशा राम, निवासी गांव गोरखनाथ, डाकघर साईं, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने राजस्व रिकार्ड खेवट खतौनी नं0 16 / 18, खसरा नं0 80, कित्ता 1, तादादी 04 बीघे 17 बिस्वे, मौजा गोरखनाथ, तहसील बद्दी, जिला सोलज में राम रतन से रतन लाल नाम दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय परिवार रजिस्टर नकल व आधार कार्ड, वोटर कार्ड सहित प्रस्तुत किये हैं।

अतः जिस किसी को राम रतन का नाम रतन लाल दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह अदालत हजा में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर उजर दिनांक 24–02–2022 को या इससे पूर्व पेश कर सकता है, बाद मियाद कोई उजर / एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 24–12–2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग (तहसीलदार),
तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।